Sessions Trial No.27/2025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय, खूंटी।

उपस्थित : प्राची मिश्रा।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, खूंटी।

निर्णय की तिथि : 29-07-2026
जिला : खूँटी।

सत्र वाद संख्या 27/2025

जी0 आर0 केस नंबर 743/2022(S)

मुरहू थाना कांड संख्या 67/2022

CNR No. JHKH010002072025

राज्य सरकार द्वारा विष्णु यादव———————————————————सूचक।

बनाम्

1. नाजुम उर्फ सोमा हेम्ब्रम उर्फ नजम, उम्र करीब 25 वर्ष, पे0 मतलोयंग, थाना बंदगांव, जिला पश्चिमी सिंहभूम————————————————————अभियुक्त।

अभियोजन पक्ष की ओर से :— श्री मनोज लकड़ा।
विद्वान अपर लोक अभियोजक।

बचाव पक्ष की ओर से :— श्रीमती नर्मता कुमारी।
विद्वान उप—प्रमुख एल0ए0डी0सी0।

अनुलग्नक - II

घटना की तिथि	28—06—2022
प्राथमिकी की तिथि	29—06—2022
आरोप—पत्र की तिथि	17—08—2024
आरोप गठन की तिथि	16—04—2025
गवाही शुरु होने की तिथि	19—05—2025
तिथि जिस दिन निर्णय हेतु रखा गया	28—07—2026
निर्णय की तिथि	29—07—2026
सजा की तिथि अगर हुई हो	नहीं

अभियुक्तगण की विवरणी :

क्रम सं0.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोप की धाराएं	दोषी या रिहा	सजा की अवधी	सजा की अवधी जो विचारण में बीती हो धारा 428 Cr.P.C. हेतु
1.	नाजुम उर्फ सोमा हेम्ब्रम उर्फ नजम, उम्र करीब 25 वर्ष, पे0 मतलोयंग, थाना बंदगांव, जिला पश्चिमी सिंहभूम।	24—06—2024	न्यायिक अभिरक्षा में।	धारा—343, 323, 307, 325, 504, 506, 435, 437, 379 भा0 द0 वि0 एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।	रिहा		

अनुलग्नक – III

गवाहों की सूची – अभियोजन/बचाव/न्यायालय

क. अभियोजन साक्षी

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	उमेश कुमार यादव	पीड़ित
2	विष्णु यादव	सूचक
3	कीनु मुण्डा	स्वतंत्र(पक्षद्रोही)
4	खेदवा मुण्डा	स्वतंत्र(पक्षद्रोही)
5	विक्की ठाकुर	अनुसंधानकर्ता

ख. बचाव पक्ष के साक्षी अगर हो तो

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	नहीं	

ग. न्यायालय के साक्षी अगर हो तो

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	नहीं	

प्रदर्शों की सूची – अभियोजन/बचाव/न्यायालय

क. अभियोजन

क0 सं0	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श संख्या/चिन्ह
1	संपूर्ण लिखित आवेदन।	प्रदर्श–**P1/PW2** (मूल सत्र वाद संख्या एस0टी0–55/2024 में संलग्न)
2	लिखित आवेदन पर पृष्ठांकन	प्रदर्श–**P1/1/PW-5** (मूल सत्र वाद संख्या एस0टी0–55/2024 में संलग्न है।)
3	औपचारिक प्राथमिकी	प्रदर्श–**P2/PW-5** (मूल सत्र वाद संख्या एस0टी0–55/2024 में संलग्न है।)

ख. बचाव

क0 सं0	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श संख्या/चिन्ह
1	नहीं	

ग. न्यायालय

क0 सं0	प्रदर्श	विवरणी
1	नहीं	

घ. वस्तु प्रदर्श

क0 सं0	वस्तु प्रदर्श	विवरणी
1	नहीं	

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में उपर वर्णित एकमात्र अभियुक्त नाजुम उर्फ सोमा हेम्ब्रम उर्फ नजम का विचारण धारा–343, 323, 307, 325, 504, 506, 435, 437, 379 भा0 द0 वि0 एवं 17 सी0 एल0 ए0 एक्ट के अपराध के आरोपों के लिये किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी सूचक विष्णु यादव के लिखित प्रतिवेदन के अनुसार इस प्रकार है कि मैं तथा मेरे साथ उमेश कुमार यादव, पे0 मनराज यादव, अनिल यादव, पे0 स्व0 युगल महतो सभी सा0 चुरी बस्ती, थाना खेलारी, जिला रांची तथा दीपक यादव, पे0 उधेश्वर यादव, सा0 हेसला, थाना चंदवा, जिला लातेहार, सिंह इन्टर प्राईवेट लिमिटेड (SIPL) कंपनी B.B.N.L में फाईवर मैनेजमेंट का काम खूंटी जिला के हर प्रखंड में काम करते हैं तथा खूंटी पिपल चौक के पास किराया के मकान में रहते हैं। दिनांक–28–06–2022 को सभी चारों आदमी पिपल चौक खूंटी से समय करीब 8.00 बजे सुबह कंपनी के बोलेरो गाड़ी जे.एच.01.सी.

भी–9198 से ड्यूटी के लिये निकले थे। समय करीब 10.00 बजे के आसपास रूमदकेल में B.S.N.L के केबल (फाइवर) कटा हुआ था जिसे फिट करने में करीब दो घंटा समय लगा। वहां से रूमदकेल पंचायत भवन गये एवं वहां के मशीन को चेक किया परन्तु रांची में सरवर डाउन होने के कारण पता नहीं चला। उसके बाद इंजीनियर रवि पटेल सर का फोन आया और वे बोले कि तिनतिला चले जाओ तो हम सभी लोग तिनतिला चले गये एवं वहां के फाईवर को ठीक किये। उसके बाद हम लोग वापस खूंटी डेरा के लिये निकल गये थे कि रास्ते में समय करीब 4.00 बजे शाम को रवि पटेल सर का फोन आया कि रूमुदकेल जाकर चेक कर लो तो हम सभी लोग रास्ते से ही रूमुदकेल जाने के लिये लौट गये। समय करीब 4.30 बजे गुल्लु बाजार के पास पहुंचे जहां सड़क किनारे कुछ लोग बैठकर हड़िया दारू पी रहे थे तो बोलेरो का चालक मैं विष्णु यादव ने गाड़ी का हौर्न बजा दिया था, उसके बाद हम लोग पंचायत भवन रूमुदकेल पहुंचे एवं उमेश यादव, अनिल यादव गाड़ी से उतरकर पंचायत भवन के अंदर चले गये। मैं तथा दीपक यादव गाड़ी के अंदर ही बैठै थे तभी गुल्लु के तरफ से तीन मोटरसाईकिल पर करीब छह से आठ आदमी सभी के पास बड़ा एवं छोटा साईज के बन्दूक था, अचानक आया एवं मुझे तथा दीपक यादव को गाड़ी से उतारकर बन्दूक के कुंदा से मारने लगा। इसी बीच पंचायत भवन के अंदर से उमेश यादव एवं अनिल यादव बाहर निकले, उन दोनों को भी वे लोग पिटाई करने लगे। मौका पाकर अनिल यादव वहां से भाग गया परन्तु हम तीनों लोगों को वे सभी अपराधी लोग बुरी तरह से पीटते रहे। पीटने के दौरान वे लोग बोल रहे थे कि इतना तेजी से गाड़ी क्यों चलाते हो तथा बाजार में हौर्न क्यों बजाया था। बाजार के पहले हौर्न क्यों नहीं बजाया था। उसके बाद अपराधियों के द्वारा हम लोग के पास काम के सामान जिसमें फाईवर जोड़ने की मशीन, ओ.टी.डी. आर मशीन, पावर मीटर एवं पांच बड़ा साईज मोबाइल को अपराधियों के द्वारा जला दिया गया तथा मेरे पास करीब दस हजार रू. था जिसे अपराधियों ने ले लिया। वे सभी लोग आपस में मुण्डारी भाषा में बात कर रहे थे तथा सभी लोग काफी नशा में थे। उन लोग के पास काफी महंगा–महंगा वाला स्पोर्ट्स बाईक था।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर मुरहू थाना कांड संख्या 67/2022, दिनांक–29–06–2022, धारा–341, 323, 325, 307, 504, 506, 435, 427, 379, 34 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ जिसका अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी ने किया तथा घटना को सत्य पाकर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में धारा–341, 323, 325, 307, 504, 506, 435, 427, 379,

34 भा0 द0 वि0 एवं 17 सी0 एल0 ए0 एक्ट के अंतर्गत समर्पित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध का संज्ञान लिया।

4. दिनांक–03–12–2024 को अभियुक्त के वाद को दौरा सुपुर्द किया गया। कालांतर में यह वाद विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. दिनांक–16–04–2025 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 343, 323, 307, 325, 504, 506, 435, 437, 379 भा0 द0 वि0 एवं 17 सी0 एल0 ए0 एक्ट के अंतर्गत आरोप गठित कर आरोप के तथ्यों का सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिस पर अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया एवं विचारण का दावा किया है।

6. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में अभियोजन साक्षी संख्या 1. उमेश कुमार यादव, अभियोजन साक्षी संख्या 2. विष्णु यादव, अभियोजन साक्षी संख्या 3. किनु मुण्डा एवं अभियोजन साक्षी संख्या 4. खेदवा मुण्डा का साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिनका बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किया गया।

7. दिनांक–27–07–2026 को अभियुक्त नाजुम उर्फ सोमा हेम्ब्रम उर्फ नजम का बयान धारा–313 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया एवं स्वयं को निर्दोष बताया है।

8. अब विचारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतब्य

9. **अभियोजन साक्षी संख्या 1. उमेश कुमार यादव** ने अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि घटना दिनांक–28–06–2022 की शाम लगभग चार से पांच के बीच की है। उक्त तिथि को मैं अपने साथियों दीपक यादव, विष्णु यादव एवं अनिल यादव के साथ हमलोग ग्राम रूमदकेल गांव में खराब बी0एस0एन0एल के केबल मेंटेनेश को ठीक करने के लिए गये हुये थे। वहां पर काम करने के बाद जब केबल मेंटेनेश सही हुआ तो हमलोग सभी वहां से तिंतिला ग्राम के लिए निकले। वहां पर भी केबल को ठीक करके हमलोग वापस खूंटी की ओर आ रहे थे। मुरहू गांव पहुंचने पर हमलोगों के पास इंजीनियर का कॉल आया कि फिर से तकनीकी खराबी आ गयी है, तो हमलोग वापस रूमदकेल गांव गए। रूमदकेल गांव के पास बाजार लगा हुआ था, वहां पर अधिक भीड़ होने के कारण हमारा चालक बिष्णु यादव द्वारा बोलेरो का हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाते हुए हमलोग बाजार

पार करते हुए पंचायत भवन पहुंचे। उसी बीच वहां पर लोग बैठ कर हड़िया दारू पी रहे थे। मैं उमेश कुमार यादव पंचायत भवन में अंदर जाकर अकेले केबल को ठीक करने का काम कर रहे थे। चालक विष्णु यादव और दो मजदूर दीपक यादव एवं अनिल यादव बोलेरो वाहन में थे। इसी दौरान तीन बाईक पर छह से आठ लोग सवार होकर वहां पर पहुंचे। सभी के पास बड़ा और साईज का बंदूक था। उसके बाद वे लोग तीनों के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान मौका पाकर अनिल यादव वहां से भाग गया और मुरहू थाना में घटना की सूचना दी। अपराधियों द्वारा मारपीट का कारण हमलोगों को बताया कि वे लोग बोला कि बाजार में इतना हॉर्न क्यों बजाया, इसलिए तुमलोग के साथ मारपीट कर रहे है। वे लोग हमलोगों का काम करने का सामान, जिसमें फाईबर जोड़ने का मशीन, ओ0टी0डी0आर0 मशीन, एक पावर मीटर, हमलोगों के पास से कुल पांच मोबाइल एवं चालक के पास से लगभग दस हजार रूपए लूट लिया और सारा सामान को जला दिया। सभी अपराधकर्मी रूमाल एवं गम्छे से चेहरा को ढके हुए थे। अपराधकर्मी स्पोटर्स बाईक से आए थे। मारपीट करने के बाद हमलोगों का नाम पता पूछे और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। आज न्यायालय में वीडियो काउंफ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त को साक्षी पहचानने से इंकार कर दिया।

इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कहा है कि इस केस के किसी भी अभियुक्त को मैं नहीं पहचानता हूं। पंचायत भवन के आस–पास बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन मैं किन्हीं को जानता एवं पहचानता नहीं। जिस गांव में घटना घटी, उस गांव के मुखिया एवं सरपंच को हमलोगों ने घटना के विषय में कोई सूचना नहीं दी। जिस बोलेरो गाड़ी से हमलोग रूमुतकेल पंचायत गए थे, उस गाड़ी का नंबर मैं नहीं जानता। मोटरसाईकिल का नंबर भी मैं नहीं बता सकता हूं। इस केस के संबंध में पुलिस के द्वारा मुझे कभी भी पहचान परेड नहीं कराया गया।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या 2. विष्णु यादव** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं इस केस का सूचक हूं। घटना दिनांक 28.06.2022 के शाम लगभग चार से पांच के बीच की है। उक्त तिथि को मैं अपने साथियों दीपक यादव, उमेश कुमार यादव एवं अनिल यादव के साथ हमलोग ग्राम रूमदकेल गांव में खराब बी0एस0एन0एल के केबल मेंटेनेश को ठीक करने के लिए गये हुये थे। वहां पर काम करने के बाद जब केबल मेंटेनेश सही हुआ तो वहां से हमलोग सभी वहां से तिंतिला ग्राम के लिए निकले। वहां पर भी केबल को ठीक करके हमलोग वापस खूंटी की ओर आ रहे थे। मुरहू गांव पहुंचने पर हमलोगों के पास इंजीनियर का कॉल आया कि फिर से तकनीकी

खराबी आ गयी है तो हमलोग वापस रूमदकेल गांव गए। रूमदकेल गांव के पास बाजार लगा हुआ था, वहसं पर अधिक भीड़ होने के कारण मैंने अपने बोलेरो का हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाते हुए हमलोग बाजार पार करते हुए पंचायत भवन पहुंचे। उसी बीच वहां पर लोग बैठ कर हड़िया दारू पी रहे थे। उमेश कुमार यादव पंचायत भवन में अंदर जाकर अकेले केबल को ठीक करने का काम करने लगा। मैं और दो मजदूर दीपक यादव एवं अनिल यादव बोलेरो वाहन में थे। इसी दौरान तीन बाईक पर छह से आठ लोग सवार होकर वहां पर पहुंचे। सभी के पास बड़ा और छोटा साईज का बंदूक था। उसके बाद बंदूकधारी लोग हम सभी के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान मौका पाकर अनिल यादव वहां से भाग गया और मुरहू थाना में घटना की सूचना दी। अपराधियों द्वारा मारपीट का कारण हमलोगों को बताया कि वे लोग बोला कि बाजार में इतना हॉर्न क्यों बजाया, इसलिए तुमलोग के साथ मारपीट कर रहे हैं। वे लोग हमलोगों का काम करने का सामान, जिसमें फाईबर जोड़ने का मशीन, ओ0टी0डी0आर0 मशीन, एक पावर मीटर, हमलोगों के पास से कुल पांच मोबाईल एवं मेरे पास से लगभग दस हजार रूपए लूट लिया और सारा सामान को जला दिया। सभी अपराधी रूमाल एवं गम्छे से चेहरा को ढके हुए थे। अपराधी स्पोटर्स बाईक से आए थे। मारपीट करने के बाद हमलोगों का नाम पता पूछे और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। लिखित आवेदन मेरे बताए अनुसार मुकेश यादव के द्वारा लिखा गया। मैं पढ़ा, समझा उसके बाद हस्ताक्षर किया। यही मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूं, संपूर्ण लिखित आवेदन को **प्रदर्श–**P1/PW2 अंकित किया जाता है। (मूल सत्रवाद संख्या– ST-55/2024 में संलग्न है)। आज न्यायालय में वीडियो काउंफ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित अभियुक्त को साक्षी पहचानने से इंकार कर दिया।

इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कहा है कि इस केस के किसी भी अभियुक्त को मैं नहीं पहचानता हूं। पंचायत भवन के आस–पास बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन मैं किन्हीं को जानता एवं पहचानता नहीं। जिस गांव में घटना घटी, उस गांव के मुखिया एवं सरपंच को हमलोगों ने घटना के विषय में कोई सूचना नहीं दी। जिस बोलेरो गाड़ी से हमलोग रूमुतकेल पंचायत गए थे, उस गाड़ी का नंबर मैं नहीं जानता। मोटरसाईकिल का नंबर भी मैं नहीं बता सकता हूं। इस केस के संबंध में पुलिस के द्वारा मुझे कभी भी पहचान परेड नहीं कराया गया। लूटे गए नोटों की संख्या मैं नहीं बता सकता तथा कौन–कौन सा नोट था, यह भी नहीं बता सकता।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या 3. किनु मुण्डा** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना की मुझे

कोई जानकारी नहीं है। पुलिस मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी।

अभियोजन पक्ष के द्वारा इस साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है और इनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु इनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे इस साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास न किया जाय।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये **प्रतिपरीक्षण** में इस साक्षी ने कहा है कि पुलिस मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। मुझे इस केस का कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

12. **अभियोजन साक्षी संख्या 4. खेदवा मुण्डा** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना की मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस मुझसे कोई पूछताछ नहीं की है।

अभियोजन पक्ष के द्वारा इस साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है और इनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु इनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे इस साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास न किया जाय।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये **प्रतिपरीक्षण** में इस साक्षी ने कहा है कि पुलिस मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। मुझे इस केस का कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

13. **अभियोजन साक्षी संख्या 5. विक्की ठाकुर** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 13.02.2024 को तृतीय पूरक कांड दैनिकी लिखना प्रारंभ किया। जिसमें इस कांड के अ0प्रा0 अभियुक्त नजुम उर्फ सोमा हेमब्रोम के विरूद्ध गिरफतारी/कुर्की जप्ती की कार्रवाई हेतु अनुसंधान जारी रखा। दिनांक 20.02.2024 को माननीय न्यायालय पहुंच कर न्यायालय लिपिक के द्वारा उपलब्ध कराए गए रेकार्ड का अवलोकन किया गया। ज्ञात हुआ कि इस कांड के अ0प्रा0अभि0 नजुम उर्फ सोमा हेमब्रोम के विरूद्ध वारंट निर्गत नहीं हो पाया है। दिनांक 22.02.2024 को पुलिस उपमहानिरीक्षक, झारखण्ड, रॉची के कार्यालय ज्ञापांक 08.02.2024 के आलोक में मेरा स्थानांतरण खूंटी जिला से हजारीबाग जिला बल में हो गया। उक्त आदेश के आलोक में इस कांड का प्रभार सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ थाना प्रभारी, मुरहू को सौंप दिया। लिखित आवेदन पर पृष्ठांकन एवं हस्ताक्षर तत्कालीन थाना प्रभारी विक्रांत कुमार के लिखावट एवं हस्ताक्षर पर है, पहचानता हूं, जिसे **प्रदर्श–P1/1/Pw-5** अंकित किया जाता है। **(मूल सत्रवाद संख्या–ST-55/2024 में संलग्न है)।** औपचारिक प्राथमिकी थाना मुंशी के द्वारा भरा गया है। जिसपर तत्कालीन थाना प्रभारी विक्रांत कुमार का हस्ताक्षर है। पहचानता हूं। जिसे **प्रदर्श–P2/Pw-5** अंकित किया जाता है। **(मूल सत्रवाद संख्या–ST-**

55/2024 में संलग्न है)

इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कहा है कि इस घटना के संबंध में अभियुक्त नजुम उर्फ सोमा हेमब्रोम से संलिप्तता से संबंधित कोई भी साक्ष्य एकत्रित नहीं किया। मैं अभियुक्त को नहीं पहचानता हूं।

14. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तो पाया कि अभियोजन साक्षी संख्या 1. उमेश कुमार यादव हैं जो एक पीड़ित साक्षी हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन किया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के कंडिका–14 में कहा है कि वे इस केस के किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचानते हैं। कंडिका–16 में कहा है कि पंचायत भवन के आसपास बहुत से लोग मौजूद थे लेकिन वे किन्हीं को जानते पहचानते नहीं हैं। कंडिका–17 में कहा है कि जिस गांव में घटना घटी उस गांव के मुखिया एवं सरपंच को हम लोगों ने घटना के विषय में कोई सूचना नहीं दिये थे। कंडिका–19 में कहा है कि इस केस के संबंध में पुलिस के द्वारा उन्हें कभी भी पहचान परेड नहीं कराया गया। अभियोजन साक्षी संख्या 2. विष्णु यादव हैं जो इस मामले के सूचक हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन किया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के कंडिका–15 में कहा है कि वे इस केस के किसी भी अभियुक्त को नहीं पहचानते हैं। कंडिका–18 में कहा है कि जिस गांव में घटना घटी, उस गांव के मुखिया एवं सरपंच को हम लोगों ने घटना के विषय में कोई सूचना नहीं दिये थे। कंडिका–19 में कहा है कि जिस गांड़ी से हम लोग रूमुतकेल पंचायत गये थे, उस गाड़ी का नंबर वे नहीं जानते हैं। मोटरसाईकिल का नंबर भी नहीं बता सकते हैं। कंडिका–20 में कहा है कि इस केस के संबंध में पुलिस के द्वारा उन्हें कभी भी पहचान परेड नहीं कराया गया था। अभियोजन साक्षी संख्या 3. किनु मुण्डा एवं अभियोजन साक्षी संख्या 4. खेदवा मुण्डा को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इन दोनों साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि पुलिस उनसे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन साक्षी संख्या 5. विक्की ठाकुर हैं जो इस मामले के अनुसंधानकर्ता हैं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका–6. में कहा है कि इस घटना के संबंध में अभियुक्त नजुम उर्फ सोमा हेम्ब्रोम से संलिप्तता से संबंधित कोई भी साक्ष्य एकत्रित नहीं किया। कंडिका–7 में कहा है कि वे अभियुक्त को नहीं पहचानते हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की पहचान घ ाटनास्थल पर घटना कारित करने वाले के रूप में नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप का समर्थन नहीं किया है।

अभियोजन द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त उग्रवादी संगठन का सदस्य रहा है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप सभी संदेहों से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः साक्ष्य की सम्पुष्टि के अभाव में अभियुक्त नाजुम उर्फ सोमा हेम्ब्रम उर्फ नजम को उसके विरूद्ध लगाये आरोप धारा–341, 323, 307, 504, 506, 435, 437, 379, 34 भा0 द0 वि0 एवं 17 सी0 एल0 ए0 एक्ट के अभियोग से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त नाजुम उर्फ सोमा हेम्ब्रम उर्फ नजम न्यायिक अभिरक्षा में है। उपकारा अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे अविलंब कारा से मुक्त करें। कार्यालय उसकी मुक्ति हेतु अविलंब मुक्ति आदेश निर्गत करें।

आज यह निर्णय दिनांक–29–07–2026 को अभियुक्त नाजुम उर्फ सोमा हेम्ब्रम उर्फ नजम की (वी0सी0 द्वारा) उपस्थिति में मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

मेरे द्वारा लेखापित

<u>एवं संशोधित।</u>

Sd/-

(प्राची मिश्रा)
जिला एवं अपर सत्र न्या0 तृतीय, खूंटी।
29–07–2026

Sd/-

(प्राची मिश्रा)
जिला एवं अपर सत्र न्या0 तृतीय, खूंटी।
29–07–2026